कामकाजी महिला

वर्ष 1 अंक 4 | अप्रैल 1989 | मूल्य एक रु.

अफगानिस्तान की आजादी और सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान की हथियारबंद जुझारू औरतें

आंगनबाड़ी महिलाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन—
नई दिल्ली 22-23 अप्रैल

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस : 8 मार्च 1989

इस वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च 1989 का आगमन भारत में असमाजिक तत्वों और पुलिस द्वारा महिलाओं के खिलाफ तेजी से बढ़ रहे अपराध के माहौल में हुआ है. दहेज की मांगों के कारण बधुओं को जलाकर मार डालने की घटनाओं का कोई अन्त नजर नहीं आता. महिलाओं के लिए समान अधिकारों की घोषणा का 8 मार्च का यह दिन आज महिलाओं के लिए समान वेतन तथा रोजगार की समान संभावनाओं की मांग का दिन बन गया है. महिलाओं को संगठित क्षेत्रों से बाहर निकाला जा रहा है, उन्हें न्यूनतम मजदूरी से वंचित रखा जा रहा है. रोजगार खोजने वाली महिलाओं की संख्या 1988 में 57 लाख तक पहुंच गई है. सत्तारूढ़ कांग्रेस(इ) आंगनबाड़ी में महिलाओं को तुच्छ वेतन पर काम करवा कर शर्म महसूस नहीं करती. वह इन समस्याओं के समाधान के नाम पर 'स्व-रोजगार' का ढोल पीटती. अब गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, आर.एल.ई.-सी.पी. योजना जैसे भड़कीले नारे अपने अर्थ खो चुके हैं. जरूरतमन्दों को इन योजनाओं से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है.

इससे पहले महिलाओं की हैसियत इस स्तर तक कभी नहीं गिरी थी, एक औरत पहले कभी इतनी नीची निगाह से नहीं देखी गई थी कि उसे सती होने के लिए मजबूर होना पड़े जैसा कि देवराला में हुआ. इससे पहले बालिकाओं की इतनी बड़ी संख्या में रूढ़िवादियों द्वारा गला घोटकर हत्या नहीं की गई जितनी राजस्थान, गुजरात और दूसरे राज्यों में. राजस्थान के कांग्रेस(इ) विधायक को अपने ही परिवार की लड़कियों को जन्मते ही हत्या कर देने का दोषी पाया गया. कांग्रेस(इ) के मंत्री—भारत के केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्री बसंत साठे को भ्रूण

इस अंक में

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस : 8 मार्च 1987	:	2, 3
पंजाब की महिला कामगारों को चार माह का मातृत्व लाभ अवकाश	:	4
देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम	:	5, 6, 7
सती पर श्रीमति सिंधिया के महिला विरोधी बयान	:	8
आंगनबाड़ी महिलाओं की कार्य-स्थितियां	:	9-16
दुर्गापुर इस्पात कारखाने की महिला कामगारों का प्रदर्शन	:	17
समान वेतन कानून यानि सफेद हाथी	:	18-20
पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के अधिकार	:	21
नई दिल्ली में भोपाल के गैस पीड़ितों की गुहार	:	22
अफगानिस्तान की आजादी की रक्षा में खड़ी में औरतें	:	23,24

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6 तालकटोरा, रोड, नई दिल्ली 11000, (फोन 384071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिन्टर्स, 21-ए झिलमिल इडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित

परीक्षण की खुलेआम हिमायत करने में कोई हिचक नहीं होती।

परन्तु इस साल आठ मार्च ने महिलाओं को महिलाओं की अमानवीय स्थिति तथा कांग्रेसी शासक के खिलाफ खड़े होने तथा अविराम संघर्ष चलाने की हिम्मत दी है. महिलाओं पर हो रहे यातनाओं के खिलाफ देश के हरेक कोने में महिलाओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया है तथा हरेक आंदोलन में सभी वर्गों की महिलाओं ने अपनी भागीदारी की है. देश के हरेक हिस्सों की महिलाएं कांग्रेसी शासकों को चेतावनी दे रही कि आबादी के 50 प्रतिशत वोट बैंक को हथियाने की उनकी साजिश कामयाब नहीं होगी. महिलाओं का गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि वह पूंजीवादी इजारेदार शासक को उखाड़ न फेंकेगी. इस आठ मार्च को हमारी मांगें हैं—हरिजनों, आदिवासी महिलाओं और पुरुषों पर अत्याचार बन्द करो, उन्हें भूमि और नौकरी दो, उनकी संतान को शिक्षा दो और महिलाओं से संबंधित कानूनों का क्रियान्वयन करो. महिला दशक में नैरोबी सम्मेलन के बाद से महिलाओं के लिए राष्ट्रीय भविष्य योजना (एन.पी.पी.), हरेक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने और महिलाओं के लिए कानूनों और विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन न होने पर कांग्रेस(इ) और इसके सांसदों के नारे तथा घड़ियाली आंसू अब और अधिक समय तक महिलाओं को धोखे मे नहीं रख सकते. इन महिलाओं ने महसूस कर लिया है कि आगामी चुनावी साल में राजीव सरकार को बर्खास्त करने तथा अपना हक प्राप्त करने के लिए जुझारू संघर्ष चलाना जरूरी है. इससे ही वास्तविक समानता का रास्ता प्रशस्त होगा जो समाजवाद में ही संभव है.

महिलाओं के अधिकारों के प्रतिरक्षक लेनिन ने कहा था, "पूंजीवादी समाज में महिलाओं की स्थिति हमेशा असमान रहेगी चाहे कितना ही विकसित पूंजीवादी देश क्यों न हो." अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसे देशों में महिलाओं की स्थिति अभी भी गैर-बराबरी की है. उन्हें वहां नीची नजरों से देखा जाता है. महिलाएं हरेक जगह अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए वर्तमान व्यवस्था से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही हैं. हम इन महिलाओं के प्रति अपनी दृढ़ एकजुटता का इजहार करते हैं. हम दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं को अपनी अडिग एकजुटता का आश्वासन देते हैं जो नस्लभेदी बोथा निजाम के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं. हम ईरान की बहिनों के समर्थन में खड़े होते हैं जो रूढ़ीवादी निजाम के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही हैं. हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान में सैनिक शासन को शिकस्त देकर प्रजातन्त्र स्थापित करने वाली श्रीमती बेनजीर भुट्टो के शासन काल में पाकिस्तान की बहिनों को न्याय मिलेगा.

हम सोवियत संघ, चीन, वियतनाम, क्यूबा और दूसरे समाजवादी देशों की महिलाओं को अपनी आत्मीय बधाई भेजते हैं जो शांति की स्थापना के लिए आगे बढ़कर संघर्ष कर रही हैं ताकि महिलाओं और बच्चों का विकास सुनिश्चित हो सके.

यह उत्साहवर्द्धक तथ्य है कि आज हमारे देश में अनेक ट्रेड यूनियनों, जिनमें सीटू सबसे आगे है, के साथ-साथ डब्ल्यू एफ टी यू, टी यू आई, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय निकाय औरतों की समस्याओं पर ध्यान दे रही हैं और महिलाओं के लिए समान अवसर की मांग बुलंद कर रही हैं. हम इस तथ्य प्रति वाकिफ हैं कि लोकतांत्रिक मांगों को लेकर महिलाओं और पुरुषों के संयुक्त संघर्ष से ही महिलाओं के समान अधिकार और उनकी बराबरी की प्राप्ति सुनिश्चित होगी.

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति — 1 रुपए

वार्षिक चंदा : 6 रुपए

अपने प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 6, ताल कटोरा रोड
नई दिल्ली-110001.

पंजाब की महिला कामगारों को चार माह का मातृत्व लाभ अवकाश मिला

पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाएं अब पंजाब सबआर्डिनेट सर्विस फेडरेशन की पहलकदमी और प्रेरणा पर संयुक्त अथवा विभागीय आंदोलन में हिस्सेदारी करने लगी है. पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे पुरुषकर्मियों और महिलाकर्मियों के संयुक्त मोर्चे का एक विशाल समारोह जालंधर में देशभगत यादगार सभागार में 17 अप्रैल 1987 को हुआ था जिसमें पंजाब की स्त्री मुलाजम समन्वय समिति का गठन किया गया. समारोह को अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की संयोजक का. विमल रणदिवे ने सम्बोधित किया था. यह समारोह पंजाब की कामकाजी महिलाओं के आंदोलन के इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय है.

स्त्री मुलाजिम समन्वय समिति ने अपना मांग पत्र पंजाब के तीसरे वेतन आयोग को सौंपा. इन मांगों में महिला कामकारों को पुरुषों के समान वेतन, छह माह का बिनाशर्त मातृत्व लाभ अवकाश, पालनागार की सुविधा, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में दुगुना आकस्मिक अवकाश दिए जाएं क्योंकि बच्चों का पालन पोषण न सिर्फ महिलाओं की निजी जिम्मेदारी है बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है जिसके लिए पर्याप्त अवकाश की सुविधा मिलनी चाहिए.

यह समन्वय समिति पूरे पंजाब में जिला स्तर पर बैठकें करती है. समिति ने आंतकवाद से सबसे बुरी तरह से प्रभावित जिलों अमृतसर, फीरोजपुर, गुरदासपुर समेत सभी जिलों में जिला इकाइयां स्थापित की है.

समन्वय समिति का सफल संचालन इस बात का प्रमाण है कि राज्य कर्मचारियों के संयुक्त आंदोलन में महिलाकर्मियों की भागीदारी में उल्लेखनी मोड़ आया है. हजारों कामकाजी महिलाएं बेहतर वेतनमान, अन्य सुविधाओं, बेहतर सेवा शर्तों की मागों को लेकर, आंतकवादियों द्वारा कर्मचारियों की हत्या तथा जातीय अलगावादी ताकतों के खिलाफ तथा आंतकवाद से देश की अखंडता और एकता को बचाने के लिए राज्यकर्मचारियों के संयुक्त आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है. समन्वय समिति ने पंजाब में 1987 की स्टाफ नर्सों की 66 दिन की हड़ताल के समर्थन में जिला स्तर और राज्य स्तर पर कार्रवाई अभियान चलाए.

समिति के संघर्ष के परिणामस्वरूप पंजाब के तीसरे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में महिला कामगारों के पक्ष में विशेष सिफारिशें दी है. इनमें मातृत्व लाभ अवकाश में बढ़ोत्तरी, बीस दिन का आकस्मिक अवकाश, कामगार महिलाओं के लिए छात्रावास तथा सरकारी छात्रावासों में अकेली कामगार महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाना शामिल हैं. मातृत्व लाभ अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश में बढोतरी हमारे इस मुद्दे के महत्व को जाहिर करती है कि बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा-दीक्षा एक सामाजिक जिम्मेदारी है. इस काम में महिलाओं का योगदान समाज को आगे बढ़ाने में सहायक है. इसलिए महिलाओं को समाज में आदर मिलना चाहिए. दरअसल यह हमारे देश की कामगार महिलाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धि है. पंजाब सरकार ने पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए बिनाशर्त 180 दिन का आकास्मिक अवकाश अधिसूचित किया है. यह पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं को ऐतिहासिक बिजय है और इस आधार पर आकास्मिक अवकाश के इस प्रावधान को महिलाओं के संघर्ष के माध्यम से देश के अन्य राज्यों में लागू करवाया जा सकता है.

पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने तथा आंगनवाड़ी, पनवाक, आर. डी. ए. प्रखण्ड समितियों के कामगार महिलाओं तथा क्राफ्ट शिक्षिकाओं के लिए योग्यता के आधार पर समान काम के लिए समान वेतन,

(शेष पृष्ठ 22 पर)

देश भर में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम

पंजाब: अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंजाब में सरकारी और अर्द्ध सरकारी विभागों में काम कर रही दो हजार से अधिक महिला कामगारों ने स्त्री मुलाजम समन्वय समिति की पंजाब इकाई (चंडीगढ) के आह्वान पर सेक्टर 17 में विशाल रैली की. रैली के बाद प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पंजाब के मुख्य सचिव को मांग पत्र सौंपा. समिति की अध्यक्ष सुरिन्द्र कौर, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी का. भाग सिंह सजान, समिति की चंडीगढ़ इकाई की अध्यक्ष सरोज भारबाकेर, मोहिन्द्र जीत कौर, कुलदीप कौर और मनजीत कौर ने रैली को सम्बोधित किया.

सभी वक्ताओं ने महिलाओं के प्रति समाज की सामंती, अमानवीय, हेय और पक्षपातपूर्ण सोच पर चिन्ता व्यक्त की. वक्ताओं ने सती प्रथा, दहेज प्रथा बधु दहन, विज्ञापन में औरतों का गलत इस्तेमाल, नारी भ्रूण हत्या और औरतों के लिए असमान वेतन इत्यादि की जोरदार भर्त्सना करते हुए इन्हें खत्म करने की मांग की. वक्ताओं ने दहेज विरोधी और सती विरोधी कानूनों का क्रियान्वयन न करने के लिए सरकार के लापारवाहीपूर्ण रवैये की घोर आलोचना की. वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि औरतों की सभी समस्याओं का समाधान महिलाओं के संगठित आंदोलन तथा जनवादी आन्दोलन को और मजबूत करने से होगा.

मुख्य सचिव को दिए गए मांग पत्र में समान काम के लिए समान वेतन, बीस दिन की आकास्मिक छुट्टी, सभी कामगार महिलाओं के लिए छः महीने की मातृत्वलाभ अवकाश का क्रियान्वयन, कारखानों में शिशु पालनागार की स्थापना, महिलाओं से असुविधाजनक वक्त पर काम लेने पर प्रतिबंध, सभी कार्यालयों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय, अलग बैठक गृह, आवास किराया भत्ता, राज्य और जिला स्तर पर सभी महिलाओं और खास वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष शिकायत सेल, रोजगार शुदा महिलाओं के साथ भेदभाव की समाप्ति इत्यादि मांगें शामिल है.

रैली में एक प्रस्ताव पारित कर महिलाओं के खिलाफ तमाम समाजिक कुरीतियों की निंदा की गई तथा अपराधियों को कठोर सजा देने की मांग की गई. एक दूसरे प्रस्ताव में पंजाब में उग्रवादियों के हाथों निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की निंदा की गई तथा पंजाब समस्या के राजनैतिक समाधान की मांग उठाई गई.

बिहार: बिहार राज्य जनवादी महिला समिति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक सप्ताह का आयोजन किया गया. इसके तहत राष्ट्रीय एकता दिवस, साम्प्रदायिक एकता दिवस और महिला एकता दिवस मनाया गया. इस दौरान मजदूरी एकरूपता, विधवा वृद्धा पेंशन (60 रुपया के हिसाब से) प्रौढ़ शिक्षा पर ध्यान देकर महिला-शिक्षा की व्यवस्था तथा जनवितरण प्रणाली को सही ढंग से लागू करने मांगें उठाई गई.

वैशाली जिले में एक मार्च को महिला दिवस मनाया गया. इस दिन सैकड़ों महिलाओं ने गांधी आश्रम से विशाल जुलूस निकाली जो शहर के विभिन्न भागों से गुजरती हुई जिलाधीश के समक्ष पहुंची. जुलूस की अगुआई बिहार राज्य की जनवादी महिला समिति (ज.म.स.) की सचिव का. सुधा बिन्दू मित्रा ने किया इस अवसर पर जिलाधीश को दस सूत्री मांग पत्र दिया गया.

आरा में दो मार्च को तीन स्थानों पर महिला दिवस मनाया गया. इस अवसर पर आयोजित आम सभाओं, गोष्ठियों और सेमिनारों में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया. इन्हें सम्बोधित करते हुए का. सुधा बिन्दु मित्रा ने आठ मार्च के महत्व का उल्लेख किया.

खगड़िया में तीन मार्च को महिला दिवस का आयोजन किया गया. इस अवसर पर हजारों महिलाओं ने जुलूस

निकाली जो पूरे बाजार और मेन रोड़ से गुजरते हुए जिलाधीश कार्यालय तक पहुंचकर आम सभा में बदल गई. आम सभा को का. जयश्री देवी और का. शकुन्तला देवी ने सम्बोधित किया.

मुजफ्फर पुर में चार मार्च को महिला दिवस मनाया गया जिसके तहत ज.म.स. की जिला मंत्री का. शांति शुक्ला तथा अध्यक्ष का. भुनभुन वाला के नेतृत्व में जुलूस निकाली गयी. जिलाधीश कार्यालय के समक्ष पहुंचकर यह आम सभा में बदल गयी जिसे का. शांति शुक्ला तथा अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने सम्बोधित किया. जिलाधीश को आठ सूत्री मांग पत्र दिया गया.

रोहतास जिले में पांच मार्च को एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें जिले भर की 150 महिलाओं ने भाग लिया. इसकी अध्यक्षता का. प्रतिमा झा ने किया.

मुंगेर जिले में छः मार्च को महिला दिवस मनाया गया. इस अवसर पर जिला संयोजिका का. उषा भारती के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया तथा आम सभा की गई. नालंदा जिले में सात मार्च को जनवादी महिला सम्मेलन का जिला सम्मेलन किया गया. दोपहर दो बजे आम सभा की गई तथा शाम पांच बजे सम्मेलन की कार्रवाई शुरु हुई जो ग्यारह बजे रात तक चली. इस अवसर पर नौ सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई.

पटना में आठ मार्च को ज.म.स. की ओर से भगत सिंह पार्क में धरना दिया गया जिसमें 25 महिलाओं ने भाग लिया. धरने का नेतृत्व का. सुधा बिन्दु मिश्रा और का. अपर्णा भट्टाचार्या ने किया. इस अवसर पर जिलाधीश को दस-सूत्री मांग पत्र दिया गया. धरने के स्थान पर सांस्कृतिक मोर्चा की पटना जिला इकाई की ओर से चार नुक्कड़ नाटक किए गए जो राष्ट्रीय एकता, जातीय दंगा, महिला एकता और अंधविश्वास से संबंधित थे.

धनबाद, जमशेदपुर और भागलपुर में भी ज.स.म. और अनेक महिला संगठनों ने आठ मार्च का आयोजन किया. झरिया में ज.म.स. की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर का. संध्या मुखर्जी की अध्यक्षता में महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें करीब दो सौ महिलाओं ने भाग लिया. समिति की संयोजन का. संध्या बक्सी ने एक प्रस्ताव में महिलाओं पर बर्बर हमलों, महिलाओं की बदहाली और यातनापूर्ण जिंदगी की चर्चा करते हुए महिलाओं से एकजुट संघर्ष का आह्वान किया. सम्मेलन में का. रानी महतो, का. इति दास, का. मीना रजवार, का. ललिता बाडरी, का. संध्या चौधरी, का. शेफाली मैंज, का. कौशल्या और का. भवानी साह आदि ने अपने विचार रखे. वक्ताओं ने भ्रूण हत्या तथा नवजात लड़कियों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग की.

अन्य प्रस्तावों में कांग्रेस(इ.) की ओर से महिलाओं के 30 फीसदी आरक्षण को लफ्फाजी बताते हुए इस बात पर चिंता जाहिर की गई कि महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर की बात तो दूर कोयला उद्योग सहित अन्य उद्योगों में महिलाओं की छंटनी जोरों पर जारी है. इस अवसर पर 12 अप्रैल को शहीद सफदर हाशमी का जन्म दिवस मनाने का फैसला लिया गया. सीटू जनरल कौंसिल के सदस्य का. यमुना सहाय ने समापन भाषण दिया.

प. बंगाल के दुर्गापुर में, दुर्गापुर की कामकाजी महिला समन्वय समिति (एस.डब्ल्यू.एफ.आई.), जनवादी महिला समिति और जन-विज्ञान मंच की ओर में संयुक्त तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन पूरे धूमधाम से किया गया. नेताजी भवन में आयोजित सम्मेलन में 300 महिलाओं ने भाग लिया. इनमें दुर्गापुर इस्पात कारखाने में काम करने वाली महिलाएं, शिक्षिकाएं छात्राएं और गृहणियां शामिल थीं.

सम्मेलन की मुख्य अतिथि श्रीमती नमिता घरगुप्ता ने घरेलू कामकाजी महिलाओं की दयनीय स्थिति तथा ठेके में काम करने वाली महिलाओं की असुरक्षित स्थिति की चर्चा की.

अध्यक्ष का. शांति चटर्जी, का. पारवती दास, का. ए. भादुड़ी, का. एम. मुखर्जी ने सम्मेलन को सम्बोधित किया.

म.प्र. जनवादी महिला समिति ग्वालियर ने

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सप्ताह भर "महिलाओं के लिए कानून के दोहरे मानदण्ड" शीर्षक से शहर के विभिन्न स्थानों पर पोस्टर प्रदर्शनी लगाई. इसमें 85 पोस्टरों के माध्यम से दिखाया गया कि धर्मों व उन पर आधारित व्यक्तिगत कानून के जरिए किस तरह महिलाओं को नागरिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया है और जो थोड़े बहुत अधिकार हैं वे भी सत्ता की अवसरवादिता, महिलाओं की अपनी मजबूरियां तथा पुलिस व न्यायप्रणाली के जनविरोधी व जटिल कार्य-कलापों की वजह से उन्हें हासिल नहीं हो पाते.

मुस्लिम औरतों के गुजारे भत्ते, ईसाई लड़कियों के उत्तराधिकार के मामले, मथुरा बलात्कार कांड ने न्यायालय के फैसलों आदि पर भी पोस्टर लगाए गए थे.

अलग-अलग स्थानों पर छः दिनों तक इस विशाल प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया गया. हजारों लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा, सराहा इसे बेहतर बनाने के लिए अपने सुझावदिए. तमाम मुद्दों पर ज.म.स. कार्यकर्त्ताओं से बहस भी की. बड़ी संख्या में लोगों अपने विचार प्रदर्शनी स्थलों पर रखी प्रतिक्रिया पुस्तिका में दर्ज किए. अनेक महिलाओं ने इस अभियान के दौरान प्रदर्शनी स्थल पर संगठन की सदस्यता ग्रहण की.

ग्वालियर में किसी भी संगठन द्वारा इतने बड़े पैमाने पर पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन पहली बार किया गया था. इस प्रदर्शनी के जरिए जनता के एक बड़े हिस्से जिसमें अधिकांश मध्य-वर्गीय कर्मचारी थे, को इस समझ को तोड़ने में मदद मिली कि महिला संगठन पुरुष विरोधी होते हैं. साथ ही यह प्रदर्शनी नारीवादी विरोधी सोच का भी जमकर विरोध करती हैं.

समाज कल्याण केन्द्रों की महिला कामगारों की मांगों का अविलंब निबटारा हो !

सीटू, दिल्ली प्रशासन द्वारा संचालित समाज कल्याण केन्द्रों में कार्यरत महिलाओं के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख अख्तियार करने के लिए दिल्ली प्रशासन और भारत सरकार की भर्त्सना करती है. ये महिलाएं वेतन पुनर्रीक्षण नियमित करने और पेंशन योजनाओं को लागू करने संबंधी अपनी मांगों को लेकर धरना और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी हैं.

दिल्ली प्रशासन के तहत 18 समाज कल्याण केन्द्रों में करीब 300 उम्रदार महिला शरणार्थी बहुत कम वेतन — 250 प्रतिमाह से भी कम वेतन पर काम कर रही हैं. ये केन्द्र भारत सरकार द्वारा इसलिए खोले गए थे ताकि पाकिस्तान की विधवा शरणार्थियों को पुनर्स्थापित किया जा सके. भारत सरकार ने इस संबंध में समाज कल्याण महिला कर्मचारी यूनियन को आश्वासन भी दिया था. लेकिन अब तक इन महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया. इसके विपरीत दिल्ली प्रशासन ने इन केन्द्रों को दुरुस्थ जगहों पर स्थानांतरित करने का फैसला लिया है जिससे इन महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

दिल्ली प्रशासन ने जब इनकी समस्याओं की पूरी तरह अनदेखी किया तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद बिभा घोष गोस्वामी और सुरेश कुरूप के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल 30 अगस्त 1988 को गृहमन्त्री ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि वह इन महिलाओं का वेतन 300 रु. प्रतिमाह करने के लिए हस्तक्षेप करेंगे. परन्तु गृहमन्त्री का यह आश्वासन निरर्थक साबित हुआ. दूसरी तरफ दिल्ली प्रशासन ने अपने शोषणकारी कदम को और मजबूती से फैलाने शुरू कर दिए है. हाल में प्रशासन ने इन महिलाओं को सिले-सिलाए पोशाक के बदले केवल कपड़े देने के आदेश जारी किए हैं.

आखिरकार महिला शरणार्थी अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने पर मजबूर हुई. सीटू इन जुझारू महिलाओं को अपना पूर्ण समर्थन देता है और दिल्ली प्रशासन से इनकी मांगों के अविलंब निबटारे की मांग करता है.

सती पर, श्रीमती सिंधिया के महिला विरोधी बयान

आजकल देश में यह बहस काफी जोरों पर है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी का सती हो जाना उसके निजी अधिकारों में आता है या नहीं? क्या यह वेद और पुराण की एक अमानुषिक मान्यता है? सती को महिमा मंडित करने पर रोक है. खास कर जब हम 21वीं सदी में जाने की बात करते हों. कुछ दिन पहले विभिन्न महिला संगठनों के प्रतिनिधि राजस्थान के झुंझनू इलाके में तहकिकात के लिए गए. इन संगठनों में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन भी शामिल थी. प्रतिनिधियों ने पाया कि दर्जनों सती मंदिरों और वहां रखे मिठाई के डिब्बों में सती को महिमामंडित करने वाले साहित्य भरे पड़े हैं.

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे के एक समारोह में अपने 69वें जन्म दिन पर सती प्रथा की वकालत करते हुए श्रीमती विजय राजे सिंधिया ने कहा कि पति के मरने पर पत्नी का स्वैच्छिक आत्म बलिदान, उसका निजी हक और विश्वास है जिसे अपराध नहीं करार दिया जा सकता. किसी महिला को सती होने के अधिकार से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता कि वह पति के मरने के बाद सती होना नहीं चाहती. उन्होंने कहा कि कुछ अंग्रेजी अखबारों में छपे विचारों की उन्हें कतई परवाह नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने विचारों का इजहार करती रहेंगी चाहे इसके लिए राष्ट्रपति उन्हें जेल में डाल दें.

श्रीमति सिंधिया की मुख्य दलील यह थी कि सती होना स्वैच्छिक कार्य है. दिवराला में रूपकंवर के सती होने की अमानवीय घटना यह बताती है कि कोई विधवा अपनी जिन्दगी चुनने के लिए आजाद नहीं है.

कुछ जातियों की दकियानुसी रूढ़ियों के तहत विधवाएं अपने ही हाथों अथवा अपने परिवार जनों द्वारा मर या मारे जाने को बाध्य है.

रूढ़िवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए हिन्दुवाद का इस्तेमाल करने के कारण औरतों की हैसियत इस कदर गिरी है. हम महसूस करते हैं कि श्रीमती सिंधिया का सती के समर्थन में यह वक्तव्य सभी धर्मों के उन कट्टर रूढ़ियों के पुनरुत्थान का प्रतीक है जो औरतों को उनके जनवादी अधिकारों जो उनके जीवन का आधार है, से वंचित करता है. सती और नारी भ्रूण हत्या अथवा बालिका बध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हम भारतीय महिला मोर्चे की सभा में अपने 69वें जन्म दिन पर दिए गए श्रीमती सिंधिया के वक्तव्य की जोरदार निन्दा करते हैं.

ग्वालियर

गंदगी के खिलाफ ज.म.स. द्वारा प्रदर्शन

म.प्र. में नगर पालिका व नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त हुए दो वर्ष होने जा रहे हैं, परन्तु प्रदेश में इंका की आपसी गुटबाजी व घटते जन-समर्थन को देखकर सरकार पुनः चुनाव टालती जा रही है. गैर-जिम्मेदार प्रशासन के चलते शहर गंदगी से अट: पड़ा है और नगर की सफाई या बेहतरी के लिए आवंटित राशि भ्रष्ट अफसरों की जेबों में जा रही है.

ग्वालियर में शहरभर में व्याप्त गंदगी के खिलाफ जनवादी महिला समिति ने 2 जनवरी 89 को विशाल जुलूस निकाल कर जिलाधीश कार्यालय पर प्रदर्शन किया. इस मौके पर एक पर्चा भी निकाला गया. शहर की गन्दगी दूर करने के अलावा इस आंदोलन की अन्य मांगें थीं महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जनसुविधा मुहैया कराएं, नगर में सफाई कर्मचारियों की संख्या कम से कम दुगनी की जाए व उन्हें स्थायी किया जाए, नगर के निगम के चुनाव कराए जाएं.

जुलूस दोपहर बारह बजे मिनी कंट्रोल रूम से प्रारम्भ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ जिलाधीश कार्यालय पहुंच कर सभा में तब्दील हो गया. इस सभा को सभा की प्रांतीय महासचिव अनघा शिन्दे, अध्यक्ष श्रीमती गायत्री सरोज, जनवादी महिला समिति ग्वालियर की सचिव श्रीमती अफरोज शेख व अन्य महिलाओं ने संबोधित किया. सभा के अन्त में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भेंट किया गया.

आंगनबाड़ी महिलाओं की कार्य-स्थितियां

नई दिल्ली में 22-23 अप्रैल 1989 को अखिल भारतीय आंगनबाड़ी महिला सम्मेलन में का. बिमल रणदिवे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

देशभर में समायोजित बाल विकास योजना के व्यापक विस्तार तथा इस योजना में ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को दिए गए व्यापक महत्व के साथ-साथ इस योजना के सर्वाधिक शोषणकारी चरित्र और इसके अंतर्गत कार्यरत महिलाओं की भयावह कार्य-स्थितियों के मद्देनजर सीटू ने इस भूले-बिसरे तबके की कामकाजी महिलाओं की ओर ध्यान दिया और उनकी गंभीर समस्याओं को लेकर इन्हें संगठित करने का प्रयास किया. पिछले कुछ वर्षों में आंगनबाड़ी महिलाओं ने अनेक लड़ाईयां लड़ी हैं. इन्होंने अपनी पहलकदमी पर अथवा अपने संगठनों के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर धरनाओं और प्रदर्शनों का आयोजन किया है. सीटू सचिवालय की मई 1988 में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था कि आंगनबाड़ी महिलाओं की बेहतर स्थिति की मांग को लेकर संघर्ष करने के लिए इन्हें संगठित करने के उद्देश्य से सीटू की ओर से अखिल भारतीय स्तर पर आंगनबाड़ी महिलाओं का अधिवेशन बुलाया जाए. इसी उद्देश्य से धनबाद (बिहार) में 29 सितम्बर 1988 को अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की बैठक के साथ-साथ आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाओं की बैठक बुलाई गई. इसमें आंगनबाड़ी महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया. खासकर पश्चिम बंगाल तथा केरल जहां हमारा संगठन मजबूत है, से आई आंगनबाड़ी महिलाओं की संख्या उल्लेखनीय थी. बैठक में मांग-पत्र तैयार किया गया. प्रतिनिधियों की ओर से आंगनबाड़ी महिलाओं खासकर सहायकों और सेविकाओं की कार्य-स्थितियों पर विस्तृत विचार-विमर्श से इनकी समस्याओं की गम्भीरता को समझने में मदद मिली. इससे यह तथ्य भी सामने आया कि हमारे संघर्षों और वामपंथ सरकार की कल्याणकारी नीतियों और कामगारों की मांगों पर उदारतापूर्ण रुख अपनाने तथा उचित मांगों को मान लेने के कारण पश्चिम बंगाल और केरल में आंगनबाड़ी महिलाओं की कार्य-स्थितियां दूसरे राज्यों की तुलना में अत्यधिक बेहतर है. इन दोनों राज्यों तथा अन्य राज्यों में आंगनबाड़ी महिलाओं के वेतन में स्पष्ट अंतर है.

बैठक में पूरे बहस के बाद देश के सभी राज्यों में लागू होने लायक मांग-पत्र पारित किया गया. बैठक में आंगनबाड़ी कामगारों और सहायकों की जल्द ही अखिल भारतीय स्तर पर बैठक बुलाने का फैसला लिया गया ताकि अखिल भारतीय स्तर की एक निकाय का गठन हो सके.

देशभर से अप्रत्याशित प्रतिक्रिया

आंगनबाड़ी महिलाओं के अखिल भारतीय अधिवेशन के आह्वान पर देशभर में अप्रत्याशित तौर पर अनुकूल प्रतिक्रिया हुई. देश के लगभग तमाम राज्यों से आंगनबाड़ी महिलाओं की कार्य-स्थितियों की रिपोर्टें हमारे केन्द्रीय कार्यालय को भेजी गई. उन राज्यों से भी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जहां हमारा संगठन नहीं है. पश्चिम बंगाल और केरल से बड़ा प्रतिनिधिमण्डल भेजने का फैसला लिया गया है जबकि अन्य राज्यों से भी पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधि आने वाले हैं. इन सबसे आंगनबाड़ी महिलाओं के सवाल पर संगठित होने की आवश्यकता और कांग्रेसी शासक, केन्द्र सरकार के साथ-साथ समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा महिलाओं को सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में मात्र मानधन पर खटाने की नीति के विरोध में उत्पन्न हुई जागरूकता का इजहार होता है.

ग्रामीण महिलाओं के लिए योजना

हमें एक तथ्य पर ध्यान देना होगा कि समायोजित बाल विकास योजना (स.बा.वि.यो.) के तहत कार्यरत

महिलाएं समाज की सर्वथा शोषित महिलाएं हैं. ये महिलाएं ग्रामीण गरीब तबके की है जो सर्वाधिक पिछड़ा हुआ तबका है. वर्तमान गम्भीर आर्थिक संकट के दौर में जब देश की 63 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही हैं, महंगाई तथा किसी भी मजूरी पर काम करने की इन महिलाओं की बेबसी ने ऐसी हज़ारों महिलाओं को स.बा.वि.यो. के क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर कर दिया है.

ध्यान देने लायक दूसरा मुद्दा इस साल के आम चुनाव में इस योजना से फायदा उठाने के लिए इस योजना पर कांग्रेसी शासक द्वारा खर्च किया जा रहा धन है. गांवों में किसानों और मजदूरों के पास साल में कई महीने कोई काम नहीं होता. कांग्रेसी शासक की इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अपना चुनावी पैर जमाना है—महिलाओं को स.बा.वि.यो. में रोजगार देने की पेशकश कर, उनके बच्चे को शिक्षा, पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य सुविधाएं देकर तथा परिवार नियोजन की आवश्यकता पर बल देकर.

स. बा वि. योजना को विदेशी आर्थिक सहायता

समायोजित बाल विकास योजना पर 1987-88 में समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार स.बा.वि.यो. को यूनिसेफ, नार्वेजियन एजेंसिस (नोराड), यूसेयाड (यू.एस.ए.आई.डी.), केयर (सी.ए.आर.ई.) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू.एफ.पी.) जैसी विदेशी समितियों से आर्थिक मदद मिलती है. इस योजना की कुछ परियोजना को इन विदेशी समितियों से सीधी मदद मिलती है. इस कारण स.बा.वि. योजना में हमारे काम का अधिक राजनैतिक महत्व है. नार्वेजियन ऐजेंसिस उत्तर-प्रदेश के तीन जिलों लखनऊ, मिर्जापुर और रायबरेली में स.बा.वि. योजना के 31 परियोजनाओं की आर्थिक सहायता दे रही है. यूसेड गुजरात में पंचमहल जिले में इस योजना के ग्यारह परियोजनाओं और महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में दस परियोजनाओं की मदद कर रहा है. इसी तरह केयर और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स.बा.वि. योजना के कुछ परियोजनाओं के पोषण संबंधित कार्यक्रमों की मदद कर रहा है.

दी गई उपर्युक्त सूचनाओं से इस तथ्य को आसानी से समझा जा सकता है कि कांग्रेसी शासक ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को मदद पहुंचाने के नाम पर विदेशी समितियों से सहयोग ले रहा है तथा उन्हें सीधे-सीधे हस्तक्षेप करने की गुंजाइशें दे रहा है.

आंगनबाड़ी महिलाओं की दशा

प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायक राज्य और केन्द्र सरकार तथा बाल और महिला समाज कल्याण मन्त्रालय के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं. चूंकि इन्हें सामाजिक कार्यकर्ता का नाम दिया गया है इस कारण इन्हें केवल मानधन ही दिया जाता है. यह मानधन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है जो कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता पर निर्भर करता है. परन्तु औसत रूप से एक कर्मचारी को 275 से 300-375 रु. मानधन मिलता हैं. यदि कर्मचारी स्नातक अथवा मैट्रिक पास है तो उसे 275 रु. और कभी-कभी 300 रु. मिलता है. कुछ राज्यों में कुछ खास अवधि लगभग पांच वर्ष के बाद कर्मचारियों के वेतन में 25 रु. की बढ़ोत्तरी होती है.

सहायकों और सेविकाओं को पश्चिम बंगाल तथा केरल समेत देश के सभी राज्यों में 110 रु मिलता है. हरियाणा में सहायकों की स्थिति अपवाद है, उन्हें 125 रु. मिलता है जबकि कर्नाटक में उन्हें केवल 75 रु. ही मिलता है. सभी रिपोर्टों से स्पष्ट होता है कि सहायकों की कार्यस्थितियां कर्मचारियों (वर्कर्स) की तुलना में बदतर हैं.

काम के घंटे

विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक देखभाल किए जाने वाले बच्चों और महिलाओं की सहूलियतों और जरूरतों के हिसाब से विभिन्न राज्यों में काम के घंटे अलग-अलग हैं. परन्तु आमतौर पर काम सुबह नौ से दस बजे शुरू होता है तथा दोपहर दो से तीन बजे तक चलता रहता है. इस तरह आंगनबाड़ी कर्मचारियों को रोजाना पांच घंटे तथा सहायकों को इससे भी अधिक काम करने होते हैं.

आंगनबाड़ी महिलाओं की जिम्मेदारियां

आंगनबाड़ी कर्मचारियों और सहायकों के कार्य अलग-अलग हैं. कर्मचारियों को एक गली या मोहल्ले में निश्चित घरों का दौरा करना होता है. उन्हें इन घरों के बच्चों के वजन का हिसाब रखना होता है, जरूरी होने पर बच्चों को टीका लगवाने के लिए अस्पताल ले जाना होता है, परिवार नियोजन से संबंधित जानकारियां इकट्ठी करनी होती है, बंध्याकरण के लिए निश्चित संख्या में औरतों को लाना पड़ता है, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा बच्चों की देखभाल सम्बन्धित जानकारियां देने के लिए महिलाओं और माताओं की बैठकें आयोजित करनी होती है. कर्मचारियों को अपने दौरे और जांच (चेक अप) से संबंधित सूचनाओं को करीब 30-40 फाइलों में दर्ज करना होता है. सहायकों को आंगनबाड़ी केन्द्रों की सफाई करनी होती है, सम्बन्धित मोहल्लों अथवा इलाकों से बच्चों को यहां लाना होता है, उनके लिए भोजन बनाना होता है, उनकी देखभाल करनी होती है, भोजन बनाने के लिए ईंधन जुटानी होती है, बच्चों को सुलाना होता है तथा आगनबाड़ी कर्मचारियों की मदद करनी होती है. वह दरअसल 'आया' का काम करती हैं.

सहूलियतें

कुछ राज्यों में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को एक संतान तक मातृत्व लाभ अवकाश मिलता है जबकि इस बात का कहीं भी निर्देश नहीं है कि कितना और कितने समय तक यह अवकाश दिया जाता है. प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार दूसरी संतान के लिए मातृत्व लाभ अवकाश नहीं मिलता है. यदि आंगनबाड़ी महिलाएं इस कारण अवकाश पर रहती है तो उसे इस अवधि का वेतन नहीं दिया जाता है. मध्यप्रदेश जैसे कुछ राज्यों में इन महिलाओं को मातृत्व लाभ अवकाश बिल्कुल ही नहीं मिलता. अनेक राज्यों में 12 से 20 दिन का वेतन सहित आकस्मिक अवकाश दिया जाता है. जबकि कहीं भी मेडिकल अवकाश नहीं मिलता. हालांकि सभी राज्यों में होली, ओनम अथवा गणतंत्र दिवस जैसे कुछ अवसर पर छुट्टियां दी जाती हैं. कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इन महिलाओं को रविवार को भी काम करना पड़ता है. किसी भी राज्य में सहायकों को मातृत्वलाभ अवकाश नहीं मिलता. केरल तथा पश्चिम बंगाल में बोनस तथा त्योहार राशि दी जाती है.

पदोन्नति की संभावना

केवल पश्चिम बंगाल में आंगनबाड़ी कर्मचारियों की कुछ वर्षो बाद सुपरवाइजर के पद तक पदोन्नत हो पाती है. यहां स्नातक के बाद आंगनवाड़ी कर्मचारी सुपरवाइजर के लिए आवेदन कर सकते हैं. जबकि दूसरे राज्यों में कर्मचारी अवकाश प्राप्त करने तक उसी पद पर रहते हैं. सहायकों की पदोन्नती की कोई संभावना नहीं होती.

नौकरी की सुरक्षा की गारंटी नहीं

पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़कर आंगनबाड़ी-महिलाओं की नौकरी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है. चूंकि इनके लिए कोई खास विधान नहीं बनाए गए हैं जिसके अन्तर्गत इन्हें नियुक्त किया जा सके. जब कोई कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा की मांग करती है तो जवाब मिलता है कि आप बच्चों और महिलाओं की सेवा करने के लिए रखी गई है इसलिए आप अपनी मांगों को मनवाने के लिए मोलभाव नहीं कर सकती.

नियोजन

समायोजित बाल विकास योजना में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लाखों में हैं. हमारी राज्य समितियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार बिहार में 50 हजार, केरल में 15 हजार, उत्तर प्रदेश में 70 हजार, तामिलनाडु में 12 हजार, पश्चिम बंगाल में 33484 कर्मचारी काम कर रही हैं. इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक एक हजार अबादी पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र तथा सात सौ आदिवासीय अबादी पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र बनाएं गए है.

केन्द्र सरकार और स. बा. वि. यो. की भूमिका

केन्द्र सरकार के अन्तर्गत कार्यरत समाज कल्याण मंत्रालय की 1987 में प्रकाशित दस्तावेज के मुताबिक सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स. बा. वि. योजना के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकताओं की संख्या 22

लाख तक पहुंच जाएगी और इस योजना की विभिन्न परियोजनों के माध्यम से देश के निम्न आय वर्ग के 66 लाख बच्चों की देखभाल की जाएगी.

सरकार ने प्रत्येक गांव बार्ड अथवा झुग्गी झोपड़ियों के प्रत्येक मोहल्ले में एक आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना का वचन दिया है. अब वर्ष 1988-89 में अनेक और परियोजनाएं खोली जानी चाहिए और वादा मुताबिक अधिक बच्चों और महिलाओं की देखभाल की जानी चाहिए.

रिपोर्टों के अनुसार 1987-88 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रयोजित 40 परियोजनाओं और राज्य द्वारा प्रायोजित 39 परियोजनाओं की मंजूरी दी जा चुकी है जिससे केन्द्र प्रयोजित परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 15-20 तथा राज्य परियोजनाओं की संख्या 218 तक पहुंच गई है. वर्ष 1988-89 के दौरान 250 नई परियोजनाओं की मंजूरी दी जाने वाली है. यह योजना केन्द्र के द्वारा प्रायोजित होती है और राज्य सरकार के प्रबंधन में संचालित होती है. जैसा कि पहले कहा गया है अनेक विदेशी समितियां पौष्टिक आहार, चिकित्सा इत्यादि के मद में आर्थिक सहायता देती है.

रिपोर्टों के इस निष्कर्ष से इस योजना की व्यापक रूपरेखा तथा इसमें ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार की व्यापक संभावनाओं का पता चलता है. हालांकि इस योजना में अनेक खामियां भी है. रोजगार के साथ साथ ग्रामीण बच्चों के लिए दूध और भोजन की योजना को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. कांग्रेस (इ) शासक ने स. बा. वि. योजना को अपनी चुनावी रणनीति के रूप में शुरू किया है.

समायोजित बाल विकास योजना के लिए धन

समाज कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक आंठवी पंचवर्षीय योजना के 740.60 करोड़ रुपए के कुल विनियोग में से 241.84 करोड़ रुपये योजना के पहले दो वर्षों 1985-86 और 1986-87 के दौरान खर्च किए गए. अनुमान है कि वर्ष 1987-88 में स. बा. वि. योजना पर 223.20 करोड़ रुपए खर्च होंगे. परन्तु रिपोर्ट में यह बात स्वीकारी गई है कि वित्त की कमी के कारण वर्ष 1987-88 में स. बा. वि. यो. के विस्तार का काम धीमा पड़ गया. आर्थिक अनुदान में कमी होने की स्थिति में समाज कल्याण मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए विदेशी धन की सहायता लेती है. प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भाषणों और बयानों और समाज कल्यान मन्त्री तथा मानव संसाधन विकास विभाग के अधिकारियों की ओर से एक बैठक में दिए गए बयानों के अनुसार समायोजित बाल विकास योजना की परियोजनाओं को व्यापक तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों में लागू किया जाएगा.

स. बा. वि. योजना की केन्द्रीय तकनीकी समिति के चेयरमैन बी. एन. टंडन ने स. बा. वि. योजना का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह कार्यक्रम दुनिया में एकलौता कार्यक्रम है जिसके तहत इतने व्यापक तौर पर माताओं और शिशुओं की देखरेख की जाती है. यह कहते हुए वह समाजवादी देशों में पालनागार की सुंदर व्यवस्था को भूल जाते हैं.

अधिकारियों के बयानो और इस परियोजना के प्रति कांग्रेसी शासक के दृष्टिकोण का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ये देश में पुरुषों और महिलाओं की विशाल बेरोजगार समुदाय को रोजगार मुहैया करवाने में रूचि नहीं रखते. सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को तुच्छ मानदेय पर उबाऊ काम लेने की चाल चल रही है. वर्तमान आर्थिक तंगी के दौर में गांवों की गरीब बेसहारा औरतें अन्य कोई विकल्प नहीं पाकर इस योजना के अन्तर्गत काम करने के लिए मजबूर हो जाती है.

महिलाओं के लिए कांग्रेसी कार्यक्रम

कांग्रेस (इ) शासक महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक नीतियों की वकालत कर रहा है. महिलाओं के लिए नई भविष्य योजना, महिलाओं की तीस फीसदी नामजदगी, स्वरोजगार, महिलाओं के लिए ऋण, आठ करोड़ बच्चों के लिए दोपहर का भोजन, नगद रुपयों के तौर पर आर्थिक सहायता तथा अनेक दूसरे योजनाओं की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री कर चुके हैं. यह भी वादा किया गया है कि समान वेतन कानून समेत महिलाओं के लिए संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए जाएंगे. ग्रामीण महिलाओं के लिए ट्राइसेम,

बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए डी. डब्लू. सी. आर. ए., कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल जैसी अनेक योजनाओं की घोषणा कांग्रेसी सरकार रोज ब रोज करती है. कांग्रेसी शासक इस तथ्य से वाकिफ है कि वे महिलाओं और बच्चों को कोई सुविधाएं देने में असफल रहे है. महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा हैं, हरिजन औरतें भूपतियों के गुन्डों के हवस की शिकार बन रही है, पुलिस हिरासत में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है.

सरकार की आर्थिक नीतियों से जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है. इस साल जो कि चुनावी साल है, कांग्रेस (इ) की सतारूढ पार्टी अब ऐसा कर उम्मीद करती है कि महिलाओं के वोट उनकी झोली में आएंगे.

समायोजित बाल विकास योजना तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं को नौकरी देने की योजना सतारूढ कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है और भारत सरकार महिलाओं को 300 रु. और 110 रु. के मानधन पर नौकरी करने पर मजबूर कर रही है.

आंगनबाड़ी या यातना शिविर

आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार तथा उन्हें दैहिक तथा अन्य किसी किस्म की यातना दिए जाने की अनेक घटनाएं सामने आई हैं. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निरीक्षण के लिए आने वाले सुपरवाईजरों अथवा पुरुष अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी महिलाओं के दैहिक शोषण की खबर मिली है. एक खबर के मुताबिक आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले एक अधिकारी को इन महिलाओं की शिकायत पर निलंबित किया गया है. आंगनबाड़ी महिलाओं को अपने वेतन के लिए पैदल लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है. उन्हें कोई यात्रा-भत्ता नहीं दिया जाता. घंटों इंतजार करने के बाद उन्हें यह सुनने को मिलता है कि अपना वेतन दूसरे दिन आकर ले लें. कई केन्द्रों पर सहायकों को अपने जेब से पैसे खर्च कर इंधन की व्यवस्था करनी पड़ती है. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर न तो शौचालय न ही पानी पीने के लिए बर्तन इत्यादि की व्यवस्था है. जब इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई तो अधिकारियों ने जबाब दिया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय की कोई आवश्यकता नहीं है और महिलाओं को शौच के लिए जंगल मे जाना चाहिए. स.बा.वि. योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए है और इन्हें शौचालय की आवश्यकता नहीं होती है? कई जगहों पर आंगनबाड़ी केन्द्र वृक्ष के नीचे अथवा किसी दूसरे परिवारों के घरों में चलाये जाते हैं. जबकि आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए मकान भाड़ा का प्रावधान है.

नियमानुसार महिलाओं को छः माह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. कई जगहों पर ऐसा नहीं होता.

बंध्याकरण की जरूरी जिम्मेदारी! आखिर क्यों?

महिला कामगारों को एक निश्चित संख्या में महिलाओं को बंध्याकरण करवाने के लिए राजी करवाना होता है अन्यथा उनका वेतन भुगतान रोक दिया जाता है. बंध्याकरण के लिए लोगों को तैयार करने के लिए महिलाओं को एक निर्धारित क्षेत्र दिए जाते हैं जिसके अंतर्गत इन्हें काम करना पड़ता है.

कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं को बंध्याकरण आपरेशन के लिए लाए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए दस से बीस रुपए दिए जाते हैं. इस अनिवार्यता के खिलाफ महिलाओं में भारी क्षोभ है क्योंकि किसी महिला को उसके पति की सहमति के बगैर बंध्याकरण के लिए तैयार करना मुश्किल है. अपने देश की वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों की कीमत इन कार्यकर्ताओं को ही क्यों उठानी चाहिए ?

स.बा.वि. योजना : भ्रष्टाचार का जाल

प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार स.बा.वि. योजना में हरेक स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है. धनबाद बैठक में भाग लेने वाले तमिलनाडु के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी कर्मचारी की नौकरी पाने के लिए 300 रु. से 600 रु. की भेंट देनी होती है. आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए खाद्यानों तथा अन्य खाद्य सामग्रियों के के निर्धारित कोटे में लगभग हमेशा ही सी.डी.पी.ओ. द्वारा कटौती की जाती है.

उत्तर प्रदेश से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आंगनबाड़ी महिलाएं बदतर हालत में काम कर रही हैं. यहां महिलाओं की नियुक्ति के संबंध में कोई भी कायदा

कानून नहीं है और इस कारण इन्हें किसी भी समय नौकरी छोड़ देने को कहा जाता है.

वामपक्ष शासित राज्यों में आंगनबाड़ी महिलाएं

सीटू के तहत 1982 में पश्चिम बंगाल राज्य समायोजित बाल विकास योजना कर्मी समिति का गठन हुआ. आंगनबाड़ी महिलाओं का वेतन 150 रु. से बढ़ाकर वर्तमान में 325 रु. कर दिया गया. आंठवी पास आंगनबाड़ी महिलाएं जो पहले 125 रु. प्रतिमाह पाती थीं उन्हें अब 225 रु. प्रतिमाह दिया जाता है. सहायकों को 110 रु प्रतिमाह मिलता है जबकि पहले उन्हें केवल 35 रु. मिलता था. पश्चिम बंगाल में 14 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन चलाया गया. आकस्मिक छुट्टी प्रतिवर्ष 12 दिन से बढ़ा कर 20 दिन कर दिया गया. मातृत्व लाभ अवकाश का भी प्रावधान किया गया. स्नातक महिला कर्मचारियों को सुपरवाइजर पद पर नियुक्ति के अवसर दिए जाने लगे. उम्मीदवार 38 वर्ष की उम्र सीमा तक इस पद पर नियुक्त हो सकते हैं. यह पद पूर्णकालिक है तथा इसे सरकारी नौकरी का दर्जा दिया गया है. हाल में नादिया जिले के कल्याणी में आयोजित आंगनबाड़ी महिलाओं का सम्मेलन तथा इस अवसर पर निकले जुलूस प्रभावी थे.

केरल में शुरू शुरू में आंगनबाड़ी महिलाएं अ. भा. जनवादी महिला समिति के तहत संगठित हुईं. प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब सीटू और अ. भा. ज. म. स. इस संगठन का संचालन कर रहे हैं. संगठन की सदस्यता बारह हजार के करीब है, यहां सहायकों और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को टी. ए. तथा त्योहारों के अवसर पर बोनस भी मिलता है.

मुख्य बात यह है कि सीटू और अ. भा. ज. म. स. की पहलकदमी पर हुए संघर्षों तथा इन दोनों राज्यों में वाम पक्ष सरकार की मौजूदगी के कारण आंगनबाड़ी महिलाओं की अनेक मांगों का निबटारा हो गया है.

अन्य राज्यों में आंगनबाड़ी महिलाएं

महाराष्ट्र में अल्प अवधि में अ. भा. ज. स. ने बंबई, चन्द्रपुर, गोचिरोली और अन्य जगहोंपर आंगनबाड़ी महिलाओं को संगठित किया है. इन महिलाओं ने हजारों-हजार की संख्या में धरनाओं, प्रदर्शनों और अधिवेशनों में भाग लिया. हमारे संगठनों के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया जिसके फलस्वरूप इन महिलाओं की अनेक मांगें मानी गई.

पंजाब में कामकाजी महिला समन्वय समिति ने आंगनबाड़ी महिलाओं की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. राज्य के हरेक जिलों में हमारे संगठन के नेतृत्व में आंगनबाड़ी महिलाओं के संगठनों का संचालन हो रहा है. पंजाब की वर्तमान राजनैतिक अस्थिरता के माहौल में ऐसे आंदोलन चलाने के लिए समन्वय समिति निश्चित तौर पर बधाई का पात्र है.

पांडिचेरी में हमारे दिशा निर्देशों पर आंगनबाड़ी यूनियन का सम्मेलन हुआ. हाल में प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर तामिलनाडु विधानसभा के समक्ष धरना का आयोजन कर रहे हैं.

बिहार में चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आंगनबाड़ी महिलाएं एकजुट हो रही है. समन्वय समिति की सदस्य इन महिलाओं के संगठन से सीधा संपर्क रखती है.

कर्नाटक में हमने इन महिलाओं के बीच अभी अपना काम शुरू किया है. हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हमारे नेतृत्व में संगठन का काम चल रहा है.

आंगनबाड़ी महिलाओं का राष्ट्रीय संगठन

जैसा कि उपर कहा गया है हमारे संगठन की अगुआई में न केवल केरल और पश्चिम बंगाल में बल्कि पंजाब, महाराष्ट्र, पंडिचेरी में सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने तथा दूसरी सुविधाएं दिए जाने की मांगों को लेकर आंगनबाड़ी महिलाओं का आंदोलन शुरू हो चुका है. आंगनबाड़ी महिलाओं की अखिल भारतीय निकाय के गठन की आवश्यकता इनकी बेहतर कार्यस्थितियों, अखिल भारतीयस्तर पर इनके कामों की एकरूपता तथा अन्य मांगों से उत्पन्न हुई है. हांलाकि सरकार इन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं मानती

परन्तु ये राज्यों और केन्द्र सरकारों के अधीन काम करती हैं. सी.डी.पी.ओ. तथा सुपरवाइजर जैसे सभी पुरुषकर्मी केन्द्र और राज्यों की सरकारों के अधीन काम करने वाले सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं.

मांग पत्र

विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सभी राज्यों से एक महत्वपूर्ण मांग यह उठी है कि आंगनबाड़ी महिलाओं और सहायकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए. ये महिलाएं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की समायोजित बाल विकास योजना के अंतर्गत काम करती हैं जिसकी परियोजनाओं को केन्द्र और राज्य सरकारों से आर्थिक मदद मिलती है. लेकिन इन महिलाओं को कानूनों और सरकारी कर्मचारियों की सुविधाओं से वंचित रखने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता का दर्जा दे दिया गया है. अतः जब तक इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक इनकी स्थिति दयनीय ही रहेगी और इन्हें मानधन बतौर 250 रु.-300 रु. की अल्प राशि प्रतिमाह मिलती रहेगी. आंगनबाड़ी महिलाओं की फौरी मांग 600 रु. प्रतिमाह है जबकि सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए इनका संघर्ष जारी रखा जाएगा. सहायकों को 400 रु. प्रतिमाह वेतन दिया जाए.

इसके अलावा अन्य मांगें इस प्रकार हैं—

1. सहायकों तथा आंगनबाड़ी कर्मचारियों के काम की अवधि चार घंटे की हो.

2. शैक्षिक योग्यता के आधार पर इन्हें प्रोमोशनल एवेन्यू दिया जाए.

3. कम से कम दो संतानों के लिए मातृत्व लाभ अवकाश की सुविधा इन्हें भी दी जाए.

4. सरकारी नियमों के मुताबिक आकस्मिक और चिकित्सकीय अवकाश दिया जाए.

5. रविवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए तथा सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक छुट्टियां आंगनबाड़ी कर्मचारियों को दिया जाए.

6. त्यौहार बोनस दिया जाए.

7. स्टाइपेन्ड के साथ प्रशिक्षण की सुविधा.

8. सरकार अपने खर्चे पर ईंधन, चावल और खाद्यान आंगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध करवाए.

9. दुरुस्त स्थानों पर आकस्मिक स्थानांतरण होने पर आवास दिए जाए.

10. अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी महिलाओं के दैहिक शोषण पर रोक लगाई जाए.

11. यूनियन के एक प्रतिनिधि को प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए.

इन मांगों को धनबाद में आंगनबाड़ी महिलाओं की बैठक में पारित किया गया था. इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि आंगनबाड़ी महिलाएं समाज के सबसे शोषित अंग है तथा समायोजित बाल विकास योजना ग्रामोन्मुख है, सीटू तथा हमारी महिला संगठनों को इन महिलाओं की जरूरतों पर ध्यान देना होगा तथा उन्हें मानवीय जीवन जीने का हक प्राप्त करने में उनकी सहायता करनी होगी.

कांग्रेसी सरकार के चुनावी साल के चुनावी कार्यक्रम

यह साल चुनावी साल है. रोज व रोज प्रधान मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों और कांग्रेसी सांसदों की ओर से महिलाओं और बच्चों की स्थितियों सुधार लाने के धारावाहिक वादे किए जा रहे हैं. कांग्रेस सरकार ने (देश की 35 लाख) बेसहारा औरतों को 60 रू. मूल्य की साड़ी देने का वादा किया है. साथ ही हरेक गांव के लिए पीने का शुद्ध पानी, ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है. कांग्रेसी शासक ने भ्रमणशील शौचालय की भी व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है. वादानुसार देश के नौ करोड़ बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाना है जो एक रू. मूल्य का होगा. आशा की जाती है कि यह भोजन खाने लायक होगा. जब सभी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है कांग्रेसी शासक बच्चों को एक रू. की कीमत का आहार देने जा रही है. क्या विडंबना है ? एक तरफ मंत्री और कांग्रेसी नेता पांच सितारा होटलों में बैठकर हजारों रूपयों के सुस्वादु भोजन के मजे लूटते हैं और दूसरी तरफ देश बच्चों को

एक रू. मूल्य का घटिया भोजन मुहैया करने की योजना बनाई जाती है. दिखावे के तौर पर मंत्रियों से पांच सितार होटलों में प्रतिनिधियों और अपने आकायों को खुश करने के लिए दिए जाने वाले महंगे भोज पर खर्च में कमी करने की अपील की जा रही है. दरअसल प्रधान मंत्री भारत की जनता के सामने अपनी छवि गरीबों के हिमायती के तौर पर पेश करने की चाल चल रहे हैं ताकि आगामी आम चुनाव जीता जा सके.

कांग्रेस समिति ने पांच नवम्बर को "महिला विकास" का विशेष प्रस्तावित पारित किया है जिसमें महिला और बाल कल्याण मंत्री श्रीमती मार्गरेट अल्वा ने कहा है कि सभी विकास कार्यक्रमों में औरतों की हिस्सेदारी होनी चाहिए. अब कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों, झुग्गी झोपड़ियों और गंदी बस्ती में रहने वाली भूली-बिसरी महिलाओं पर ध्यान देने की नाटक कर रही है. कांग्रेस पार्टी अपने को महिलावादी साबित करने के फिराक में इस कदर मशगूल हो गई कि उसने लोकसभा तथा विधान सभा के चुनाव में महिलाओं के 30 फसदी आरक्षण की बात करने लगी.

कांग्रेसी शासक अब औरतों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के निराकरण के लिए प्रभावी योजना की बात करने लगे हैं. उनके अनुसार महिला विरोधी अपराधों से निबटने के लिए एक महिला सेल स्थापित किया जाना है. इनकी बदली हुई राय यह है, "औरतों के खिलाफ तमाम कानूनों और रिवाजों की फिरसे समीक्षा की जानी चाहिए और उसमें बदलाव लाया जाना चाहिए."

इस प्रस्ताव में ग्रामीण महिलाओं के प्रति गहरी हमदर्दी जताई गई है. इसमें कहा गया है कि इनके लिए सभी स्तरों पर विकास कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि इन्हें सन् 2000 तक मुख्य धारा में शामिल किया जा सके.

इस प्रस्ताव में खास तौर पर आधुनिकीकरण के कारण महिलाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी की बात को दर्ज किया गया है तथा सुझाया गया है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सावधानी पूर्वक और चयन के आधार पर होनी चाहिए. कांग्रेसी (इ.) विधायक अब महिलाओं के लिए बने कानूनों और कार्यक्रमों के गैर क्रियान्वयन तथा कांग्रेस में सामंती विचार वाले नेताओं के खिलाफ आलोचनात्मक रूख अपना रहे हैं. "हम महिलाओं को चुनाव जीतने का हथकंडा बनाये जाने का विरोध करते हैं". एक कांग्रेसी महिला विधायक का यह कथन था. उनसे यह पूछना जायज होगा कि क्या वे महिलाओं की बराबरी के समर्थन में यकीनन गंभीरता से भाषण देतीं हैं ? क्या वे इस बात से बेखबर हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है और महिलाओं के लिए बने कानूनों का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. इसके लिए उन्होंने पिछले चार साल से क्या कदम उठाएं हैं ? अब महिलाओं के विकास के लिए इन्हें इतनी बेकरारी क्यों है? दरअसल इसलिए कि बहुत जल्द ही आम चुनाव आने वाला है. इसीलिए ग्रामीण महिलाओं और महिलाओं के लिए रोजगार इत्यादि के बारे में लंबी चौड़ी बातें की जा रही है. आंगनबाड़ी महिलाओं के प्रति कांग्रेसी शासक की बनावटी चिन्ता भी ग्रामीण महिलाओं को गुमराह करने की एक चाल है. परन्तु वर्तमान कांग्रेसी शासक महिलाओं के प्रति जो भी दानिशमंदी दिखाएं जागरूक महिलाएं जानती हैं कि ग्रामीण महिलाओं के लिए इन कार्यक्रमों से लोगों को अधिक समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता.

अपने अनुभवों से, अपने संघर्षों से महिलाओं समेत समूची जनता ने बहुत कुछ सीखा है. अब जनता आगामी आम चुनाव में कांग्रेसी शासक को अच्छा सबक सिखाएगी—बशर्ते इन्हें मौका मिले.

इस राजनैतिक पृष्ठभूमि में आंगनबाड़ी में कार्यरत हमारी का. बहनों को अपनी मांगों को लेकर अपने ट्रेड यूनियनों के अधीन आंदोलन चलाना होगा. उनका यह संघर्ष कांग्रेसी इजारेदार-पूंजीपति सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के खिलाफ देश की जनवादी जनता के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का ही जरूरी हिस्सा है. हमारा संघर्ष औरतों की सम्पूर्ण मुक्ति के लिए संघर्ष से कटा नहीं होगा. हमें सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन की मुख्य धारा में शामिल होना होगा.

सम्मेलन, आंगनबाड़ी महिलाओं का आह्वान करती है कि वे संगठित हों तथा कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करें — उस सरकार के खिलाफ जो उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता का नाम देकर तुच्छ मानधन पर काम लेती है.

दुर्गापुर इस्पात कारखाने की महिला कामगारों का प्रदर्शन

कामकाजी महिला समन्वय समिति (एस डब्ल्यू एफ आई) के आह्वान पर दुर्गापुर में नौ मार्च को दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रशासनिक भवन के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया गया. इसमें डी.एस.पी. कार्यालयों, अस्पतालों में काम करने वाली औरतों, शिक्षिकाओं और ठेका मजदूरनियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया. समिति की अध्यक्ष का. शांति चटर्जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मण्डल ने महाप्रबंधक (पी. एंड ए.) को एक ज्ञापन दिया. शिशु पालनागार, रियायत के आधार पर महिलाओं की नियुक्ति, शौचालय, आरामकक्ष, ठेका महिला मजदूरों के लिए सुविधाएं इत्यादि की सात-सूत्री मांगों को उठाया गया. रियायत के आधार पर 1977 के बाद से ही किसी महिला उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं हुई है. प्रतिनिधिमण्डल ने इस मसले पर ध्यान खींचा. अधिकारियों ने कारखानों और शहरों में अनुकूल नौकरी पर महिलाओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया.

का. मिनाती मुखर्जी, का. प्रभावती दास ने प्रदर्शन को संबोधित किया. प्रबंधक के हठधर्मी रुख को देखते हुए समिति ने प्रबंधक की अनुचित नीति के खिलाफ जोरदार संघर्ष चलाने का फैसला लिया.

नागदा में ज.म.स. का प्रथम सम्मेलन

म.प्र. के उज्जैन जिले के तहत आने वाले छोटे से परन्तु औद्योगिक नगर नागदा में विगत 30 जनवरी को जनवादी महिला समिति का प्रथम नगर सम्मेलन सम्पन्न हुआ. सम्मेलन का उद्घाटन, संगठन की प्रांतीय महा-सचिव अनघा शिन्दे ने किया. सम्मेलन से पूर्व दो वर्षों से नागदा में ज.म.स. की तदर्थ समिति कार्य कर रही थी. संयोजिका द्वारा पेश की गई रिपोर्ट से स्पष्ट था कि सीमित कार्यकर्त्ताओं व छोटे संगठन के बावजूद नागदा में हमारे संगठन ने कई गतिविधियां की थी यहां तक कि अधिकांश राजनीतिक मुद्दों पर भी हस्तक्षेप या अपनी प्रतिक्रिया दर्शाई थी. रिपोर्ट पूर्व संयोजिका श्रीमती आशा शाह ने पेश की.

अनेक महिलाओं ने रिपोर्ट पर हुई बहस में हिस्सा लिया और स्थानीय समस्याओं की ओर सम्मेलन का ध्यान खींचा. रिपोर्ट पर बहस करने वालों में श्रीमती लीलाबाई, संगीता राठौर, कलाबाई, शारदादेवी, सुशीलाबाई, हीराबाई व शांतिबाई प्रमुख थीं. सम्मेलन में साम्प्रदायिकता तथा स्थानीय राशन की दुकानों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए. सम्मेलन में 21 सदस्यीय कार्यकारिणी चुनी गई जिसमें श्रीमती शांतिदेवी रावल अध्यक्षा व संगीता राठौर को सचिव चुना गया.

अगले दिन दिनांक 31 जनवरी को नागदा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व अन्य हिन्दू सांप्रदायिक संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किया गया था. सुबह से ही सांप्रदायिकता भावनाएं भड़काने के उद्देश्य से घृणित सांप्रदायिक नारेबाजी करनेवाले इन संगठनों के गुट सड़कों पर निकल आए थे व स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ था. ज.म.स. के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस दिन अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जुलूस निकाल कर प्रदेश के स्वास्थ्यमन्त्री के नाम संबोधित ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा जाना था.

ज्ञापन देने से पूर्व प्रांतीय महासचिव अनघा शिन्दे के नेतृत्व में महिलाओं ने विशाल जुलूस की शक्ल में सारे प्रमुख बाजारों में घूमकर साम्प्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता व जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर नारे लगाए. सांप्रदायिक संगठनों द्वारा फैलाए जा रहे धार्मिक उन्माद के विरोध में महिलाओं द्वारा सड़कों पर निकल-कर सांप्रदायिक सद्भाव की अपील का नगर व्यापक असर पड़ा. अंत में जुलूस पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अस्पताल पहुंचा जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया.

समान वेतन कानून यानि सफेद हाथी

नेशनल लेबर इन्स्टीच्यूट द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक "इक्वलुस" से हम यहां कुछ तथ्य प्रकाशित कर रहे हैं. जिसमें समान वेतन कानून: 1976 के लागू किए जाने के संदर्भ में कुछ राज्य सरकारों की अपराधीपूर्ण लापरवाही और क्रूरता की चौंकानेवाली तस्वीर सामने आती है. यह हालत केवल दिल्ली प्रशासन और महाराष्ट्र राज्य की ही नहीं है. (इसे तो केवल मिसाल के तौर पर पेश किया गया है) बल्कि अधिकतर राज्यों, खासकर कांग्रेस (आइ) शासित राज्यों की हालत है. हम तमाम यूनियनों, कामगार महिला समन्वय समितियों एवं सीटू राज्य कमेटियों का ध्यान इस मसले पर आकर्षित करते हैं. ताकि वे अपने राज्यों में समान वेतन कानून. 1976 के लागू किए जाने के सवाल को सही ढंग से उठा सकें.—सम्पादक

प्रशासन

हम अपको बताना चाहते है हम किस तरह अपना अध्यन चलाते हैं. पहले हम सम्बद्ध राज्य सरकार के श्रम सचिव को लिखते हैं कि हमें समान वेतन कानून के तहत् उनके अफसरों द्वारा किए गए जांच के कागजात हमें दें. जांच के दौरान वे क्या पाते हैं, मालिकान किस हद तक एवं किस तरह इस कानून को मान रहे हैं, कानून के उल्लंघन के मामले में वे क्या करते हैं आदि सवालों का जबाब एवं कागजात हम मांगते हैं. राज्य में, श्रम सचिव आइ ए एस को ही बनाया जाता है. उन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग में काम सौंपा जाना एक रिवाज सा बन गया है. श्रम एक ऐसा विभाग जहां ये अफसर टिकना नहीं चाहते वे दूसरे विभागों में स्थानन्तरण की खोज में रहते हैं. पर इसका अपवाद भी है. कुछ श्रम-सचिव ऐसे भी हैं जो लम्बे अर्से तक इसी विभाग से जुड़े रहे और सफलता के साथ काम भी किया. बहरहाल, हम श्रम सचिव को जो अनुरोध भेजते हैं वह श्रमायुक्त के पास भेज दिया जाता है और इसके बाद से हमें इसी अधिकारी से संपर्क रखना होता है. हम, उन्हें जांच किए जानेवाले संस्थानों की एक सूची भेजते हैं और उनसे यह अनुरोध करते हैं कि वह मालिकों को हमारे अध्ययन के बारे में इत्तला दें ताकि हम जब इन फैक्टरियों में जांच के लिए जाएं तो हमारे साथ वे सहयोग करें. कुछ राज्यों में, श्रमायुक्त आइ ए एस अफसर होते हैं (केरल इसका अपवाद है) जो एक अस्थायी व्यवस्था है. इसलिए, ऐसे मामले में हमें संयुक्त श्रमायुक्त से सम्पर्क करना पड़ता है जो कि साधारणत: लम्बे समय से इसी विभाग से जुड़े होते हैं और हर माने में इन्हें एक विशेषज्ञ माना जा सकता है. अगर आपको हम यह बतायें कि दिल्ली में एक भी इका.ई का समान वेतन कानून के तहत परीक्षण या जांच नहीं किया गया है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इस बात को विश्वास करने में हमें कठिनाई हुई पर हम दिल्ली प्रशासन द्वारा 2 जून 1987 को हमें भेजे गये पत्र की अनदेखी नहीं कर सकते जिसमें यह लिखा गया है, "दिल्ली प्रशासन जांच पड़ताल पर विश्वास नहीं करता वह मालिकों को शिक्षित करने पर ही ज्यादा विश्वास रखता है" (और इस शिक्षा का प्रभाव यह है कि कोई भी मालिक रिकार्ड तक रखना जरूरी नहीं समझने और शायद यही व्यवस्था, कामगार महिलाओं को छोड़कर, सबके लिए सुविधाजनक भी है. पत्र में यह भी लिखा गया है कि उल्लंघन के दो मामले विज्ञापन के माध्यम से उनके नजर में लाए गये हैं. इन प्रबंधकों को 'कारण बताओ नोटिस' भेजा गया जिन्होंने तत्काल इस पर कार्रवाई भी की परन्तु गैरकानूनी विज्ञापन के अनुसार कार्रवाई नहीं की (पत्र F/7(46) 87/Misc/State/1782/2 6.87). इसमें से एक अनुचित विज्ञापन जो कम्पीटेन्ट मोटर्स ने दिया था उसमें अपने वर्कशाप के लिए "फोरमैन" मांगा गया था. दिल्ली प्रशासन ने काम्पीटेन्ट मोटर्स को बताया कि 'फोरमैन' के लिए महिलाओं को भी लेना पड़ेगा. बहरहाल 18 जून

को हमने दिल्ली प्रशासन को लिखा कि हमारे लिए अपने रिपोर्ट में यह लिखना परेशानी की बात होगी कि दिल्ली प्रशासन ने समान वेतन कानून के तहत एक भी प्रतिष्ठान की जांच-पड़ताल नहीं की है. इसका हमें कोई जबाब नहीं मिला. परीक्षण के दौरान हमने पाया कि दिल्ली के किसी भी प्रतिष्ठान में रिकार्ड नहीं है जैसा कि समान वेतन कानून के तहत नियम है. यह रिकार्ड एक फर्म के रूप में है जिसमें समानरूपी काम में नियुक्त पुरुष एवं महिला कामगारों को दिए गये वेतन/मजदूरी दर्ज किया जाता है. यह निहायत ही जरूरी है क्योंकि इसके बगैर आप कुछ भी नहीं जान पायेंगे और कानूनी प्रावधान के मुताबिक इसका न रहना गैरकानूनी है. पर दिल्ली के मालिकों को इसकी परवाह नहीं और दिल्ली प्रशासन भी इसका निरिक्षण तो करते नहीं. क्या यह कहा जा सकता है कि उसे भी इसकी परवाह नहीं?

अब दिल्ली को छोड़ आइये. हम एक नजर महाराष्ट्र पर डालें. राज्य सरकार ने कानूनी प्रवधान के मुताबिक अधिकारी और इंस्पेक्टर नियुक्त किये हैं. पर कोई भी संस्थान रिकार्ड रखना जरूरी नहीं समझते और न ही श्रम विभाग इसको लेकर चिंतित है. वे महिला कामगारों की शिकायत के इंतजार में रहते हैं. और इसके लिए उन्हें लम्बे समय तक इन्तजार करना पड़ता है क्योंकि शिकायत का मतलब है झंझट और रोजगार खोने का खतरा मोल लेना. इसलिए शिकायतें कम होती हैं. ऐसा ही कभी कभार की गयी शिकायत का एक अनोखा मामला औड्रे डिकस्टा का है. अनोखा इसलिए क्योंकि देश में यह पहला इस किस्म का मामला है जिसमें एक महिला कामगार ने समान वेतन कानून के तहत अपना दावा पेश किया है. डिकस्टा बंबई की एक कम्पनी मैककीनन मैकेंजी में स्टोनोग्राफर के रूप में काम करती थी. कम्पनी में महिला स्टेनोग्राफर ही कंफीडनशल कामों को करती है, पुरुष सहकर्मी नहीं — यही रिवाज है. यूनियन, जिसमें पुरुषों का अधिपत्य है, और कंपनी के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत महिला स्टेनोग्राफरों का वेतन पुरुष स्टेशनोग्राफरों से काफी कम तय किया गया. जून 1977 में डिकस्टा को कंपनी ने बर्खास्त कर दिया, औद्योगिक अदालत में पुनर्बहाली का आवेदन भी नामंजूर हो गया. डिकस्टा ने समान वेतन कानून के तहत अधिकारियों के समक्ष वेतन में फर्क के सवाल को उठाते हुए बकाया रकम के लिए केपना दावा पेश किया. अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे पर अपीलेट आथरिटी ने इस दावे को मंजूर कर दिया. मालिक ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की और एक सदस्यीय एवं खण्ड पीठ दोनों ही जगह हारे. उच्चतम न्यायालय में अपील किया गया. यहां मालिक ने यह दलील दी कि यूनियन के साथ हुए समझौते के मुताबिक ही वेतन तय किया गया था जिस कारण समान वेतन कानून के प्रावधानों को लागू करने की जरूरत समाप्त हो गयी थी. यह साफ था कि मालिक के वकील भारतीय ठेका कानून के प्रावधानों से शायद वाकिफ नहीं थे जिसके तहत कानून के खिलाफ किया गया कोई भी समझौता नहीं माना जाता है. यह प्रावधान और भी जोरदार ढंग से समान वेतन कानून की धारा 3 में दोहराया गया है. मालिक की दूसरी दलील यह थी कि महिला स्टेनोग्राफरों को समान वेतन देने का पैसा कम्पनी के पास नहीं था. बहरहाल, उच्चतम न्यायालय ने हाइ कोर्ट के फैसले को बरकार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया. समान वेतन कानून सभी औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए लागू हैं और समझौते के बल पर इसके प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है. पैसे की क्षमता न रहने की बात बेतुकी है. आड्रे डिकस्टा का धैर्य और दृढ़ता के लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने 7196 रु. (वेतन में फर्क की रकम) उन्हें देने के लिए मालिक को आदेश दिया. आश्चर्य की बात हैं कि मामला चलाने का खर्च, जो कि जाहिर है काफी रकम होगी, के बारे में कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया.

डिकस्टा मामले का महाराष्ट्र में समान वेतन कानून प्रशासन पर क्या असर पड़ा? हमने सोचा था कि प्रशासन अब और सक्रिय एवं प्रभावकारी बन गया होगा और बंबई तथा महाराष्ट्र के अन्य स्थानों में यह देखने के लिए कि मालिकान इस कानून का पालन कर रहें है, प्रतिष्ठानों की जांच-पड़ताल भी की होगी. 16 मार्च 1988 को

रात 9 बजे की टी. वी. सिरियल (अधिकार) में करीब-करीब इसी मामले को पेश किया गया था. डिकस्टा का नाम बदलकर डिसुजा किया गया था और कंपनी का नाम बदलकर डिसुजा किया गया था और कंपनी का नाम नहीं बताया गया था. बहरहाल जिस बात पर हमारा ध्यान आकृष्ट हुआ वह डिसूजा की किरदार अदा करने-वालों उस महिला की आखिरी टिप्पणी थी जिसमें यह कहा गया कि इस लम्बे संघर्ष और अंततः जीत के बावजूद कंपनी के अन्य महिला स्टेनोग्राफरों के साथ भेदपूर्ण वर्ताव अब भी जारी है और वे इसके बारे में कुछ कर भी नहीं रही हैं. इस बात से चिंतित होकर हमने महाराष्ट्र के श्रम सचिव श्री बारोइ को एक पत्र लिखकर यह जानना चाहा कि मैक्कीनन मैकेंजी के दफ्तर का समान वेतन कानून के तहत जांच पड़ताल किया गया है या नहीं तथा इस कानून का कंपनी द्वारा उल्लंघन किया जाना अब भी जारी है या नहीं. हमें कोई जवाब नहीं मिला. 14 अप्रैल हमने एकबार फिर श्री बारोई को लिखा. महाराष्ट्र श्रम विभाग से हमें 10 जून को पत्र (ERA-2188 (1783)/LAB of 6 June' 88) मिला. पता चला कि 21 मार्च को श्रम अधिकारियों ने मैक्कीनन मैकेंजी कंपनी का निरीक्षण किया पर कोई रजिस्टर नहीं पाया जैसा कि कानूनी प्रावधान की जरूरत के मुताबिक होना चाहिए था. और रजिस्टर न रखे जाने के कारण यह पता लगाना संभव नही था कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं. चिट्ठी में यह भी बताया गया है कि कंपनी के 7 महिला कर्मचारियों ने इस कानून के तहत श्रम अदालत में दावा पेश की है. जब तक इसका फैसला नहीं होता श्रम विभाग के लिए भेदभाव के बारे में कुछ बता पाना सम्भव नहीं. श्रम विभाग ने हमें यह भी बताया कि रिकार्ड न रखने के जुर्म में कंपनी पर कानूनी कार्रवाई चलाने के लिए अधिकारीगण एक बार फिर कंपनी का निरीक्षण करेंगे. डि कस्टा मामले में उच्चतम न्यायालय की राय 26 मार्च 1987 को निकला और भारत के प्रमुख औद्योगिक राज्य का श्रम विभाग जून 1988 में "कोई कार्रवाई न किए जाने" की स्थिति को स्वीकारता है. बंबई हाइकोर्ट और उच्चतम न्यायालय द्वारा मैक्कीनन मैकेंजी मालिक को भेदभाव बरतने का दोषी पाया जाना और स्पष्ट राय दिया जाना महाराष्ट्र श्रम विभाग के लिए काफी नहीं था. वे चुप बैठकर यह देखना चाहते हैं कि अन्य सभी महिला स्टेनोग्राफर भी डी कास्टा बने और अपना मामला खुद सुलझालें.

डिकस्टा जैसे मामले के फैसले के बाद एक प्रणाली जो संवेदनशील हो, एक प्रणाली जो दूसरों का ख्याल करता हो—वैसी व्यवस्था से कोई भी साधारणरूप से क्या उमीद कर सकता है? यही कि केन्द्रीय श्रम मंत्रालय अपने फील्ड संगठनों को चुस्त-दुरूस्त करेंगे, राज्य सरकारें अपने निरीक्षण के काम को तेजी से करेंगे, मजदूरों के केन्द्रीय संगठने अपने सम्बद्धतावाले संगठनों को अनुचित समझौते करने के खिलाफ सचेत करेंगे और अंततः मालिकान के संगठन भी अपने सम्बद्धता वाले संस्थानों को यह हिदायत देंगे कि वे समान वेतन कानून को मानें. लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ. तामिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जिसका हमने अध्ययन किया, की भी हालत दिल्ली या महाराष्ट्र से अलग नहीं. पर्सोनेल मैनेजमेंट तथा औद्योगिक सम्बन्ध में पोस्टग्रैज्युयट डिग्रीधारी हमारे पर्सोनेल अफसर हमें बताते हैं कि उन्होंने समान वेतन कानून के बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं है. यह हमारे ट्रेनिंग और मैनेजमेंट के गुणवत्ता का प्रतिफलन है या नहीं इसका विचार हम पाठकों पर छोड़ रहे हैं. सिर्फ गुजरात में, जहां की औद्योगिक संस्कृति थोड़ा सा अलग है, हमने कुछ मामले देखें है जहां रजिस्टर न रखने के कारण मालिकों पर कार्रवाई किया गया है.

प. बंगाल में आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित हैं

पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस (इ) आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लोगों तथा औरतों की हालात में सुधार लाने के दावे ठोंक रहा है. लेकिन पिछले चार वर्षों के दौरान तमिलनाडु, बिहार, उत्तर, प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में क्या देखा गया ? क्या यहां इन पिछड़े वर्गों और महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हैं ? क्या उन पर हमले नहीं होते? कभी त्रिपुरा में जनतांत्रिक अधिकारों पर हमले के लिए टी एन वी तो अन्य कहीं टी यू जे और राष्ट्रीय कांग्रेसी (इ) गुन्डों का इस्तेमाल किया जाता है.

वास्तविकता तो यह है कि आजादी के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेसी शासन में आदिवासी और पिछड़े वर्गों की हालत और भी बदतर, और भी यातनाग्रस्त हुई हैं. भारत के देहातों में अपना एकछत्र साम्राज्य चलाने वाले सूदखोरों और ऊंची जातियों ने इन पिछड़े वर्ग के लोगों का बर्बरता पूर्ण ढंग से शोषण किया है. उनकी जमीन छीन ली गई, उनके जंगलों को हड़प लिया गया और उन्हें शोषक वर्गों के हाथों सौंप दिया गया.

लेकिन वास्तविकता यह भी है कि दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा में भी जब वामपंथी सरकार थी, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों की हालत बेहतर रही है. सन 1981 की जनगणना के मुताबिक भारत में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 5 करोड़ 16 लाख से कुछ अधिक है. पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 30 लाख 70 हजार (कुल 30,70,672) है जिनमें संथाल, मुन्डा, ओराड और लोधा इत्यादि जैसी 38 समूहें हैं. इनमें से अधिकांश लोग जानवरों का शिकार, फलों, लकड़ियों तथा पत्तों का संग्रह करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं. जबकि इनमें से अनेक लोग ईंट भट्टों में, सड़कें बनाने में, भूमि को समतल करने के काम में लगे हैं.

जब से वामपंथी सरकार पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में सत्तारूढ़ हुई है तब से इन लोगों की जिंदगी में भारी परिवर्तन आया. सन 1981 की जनगणना के मुताबिक अनुसूचित जनजातियों में शिक्षितों का प्रतिशत 13.21 हो गया. शिक्षा का यह प्रतिशत ही यह बताता है कि ये जातियां वहां विकास की ओर कदम बढ़ा रही हैं.

वामपंथी सरकार ने मुख्यतः इन जातियों और वर्गों के लोगों के लिए अनेक कदम उठाए हैं तथा कई परियोजनाएं शुरू की हैं. सबसे पहले तो छात्रावासों में कोटा सिस्टम को समाप्त कर दिया गया. पिछले साल 28,000 अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रावास में रहने का अवसर मिला. इनमें से प्रत्येक को 100 रु. महीने के हिसाब से स्टाइपेन्ड भी दिया जाता रहा है. हालांकि यह रकम छोटी है और वामपंथी सरकार इन्हें बढ़ाने पर विचार कर रही है. जबकि इससे पहले कांग्रेस (इ) शासन काल में प्राथमिक विद्यालयों में छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं थी.

अब इन छात्रों को 20 रु. जेब खर्च के तौर पर मिल रहा है. त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर भारत में कोई भी दूसरा राज्य नहीं है जहां ऐसी योजना शुरू की गई है.

अनुसूचित जनजातियों के लड़कों और लड़कियों को किताबें खरीदने के लिए अनुदान भी मिलता है. छात्रावास की सुविधा के अलावा इन छात्रों को उनके अध्ययन में मदद करने के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था भी कराई गई है.

मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए इन छात्रों को विशेष अवसर मिलते हैं. इसके लिए न्यूनतम योग्यता आपेक्षित है. अनुसूचित जातियों की सभी लड़कियों को पोशाक मुहैया कराया गया है. विभिन्न स्थानों पर छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण कर महिला शिक्षा फैलाने के विशेष प्रयत्न किए गए हैं. कलकत्ता में छात्राओं के लिए एक केन्द्रीय छात्रावास बनाया जा रहा है.

वामपंथी सरकार के भूमिवितरण कार्यक्रम से अनुसूचित जातियों का बड़ा हिस्सा लाभन्वित हुआ. अनुसूचित (शेष पृष्ठ 24 पर)

दिल्ली में गैस पीड़ितों की गुहार

भोपाल गैस कांड पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्णतः अनुचित और जन-विरोधी फैसले के खिलाफ हजारों महिलाओं ने दिल्ली में विशाल जुलूस निकाल कर यूनियन कार्बाइड और गैस पीड़ितों के बीच दिए गए फैसले में अन्तिम तौर पर हरजाने के रूप में करारबद्ध 47 करोड़ डालर की इस तुच्छ रकम का जोरदार विरोध किया. जुलूस में शामिल गैस पीड़ित नारों और मांगों की तख्तियां लिए हुए थे जिन पर लिखा हुआ था—

हिन्दुस्तान गुलाम, कार्बाइड सलाम !
दुनिया के हत्यारे हैं बेखौफ,
भारत में जिन्दगी है बेमोल !

भोपाल की हजारों गरीब महिलाएं सर्वोच्च न्यायालय के दिए फैसले का विरोध करने राजधानी आई. यह फैसला और कुछ नहीं गैस पीड़ितों के साथ विश्वासघात है.

एक अनुमान के अनुसार आज भी भोपाल में पचास हजार लोग छाती की परेशानी झेल रहे हैं, कोई तीस हजार लोग कई तरह के सरदर्द, आंखों की दिक्कतों, अपच-कब्ज और त्वचा रोग से जूझ रहें हैं. "सरकार क्यों नहीं इन पीड़ितों के इलाज के उचित तरीके खोजने के लिए अनुसंधान करवाती?" विरोध में भाग ले रहे "खान" ने अपना आक्रोश जाहिर किया.

इस त्रासदी की पराकाष्ठा यह है कि भोपाल में आज भी कम से कम 30 से 50 गैस पीड़ित रोजाना मौत के मुंह में जा रहें हैं. अस्पतालों के वहिर्विभाग में चिकित्सा कराने वालों की संख्या रोजाना एक हजार से भी ऊपर है. पीड़ितों ने यह भी बताया कि चालीस हजार के करीब परिवार भूख के कारण मौत के कगार पर पहुंच चुके हैं. इन गैस पीड़ितों को न तो राशन योजना न तो राहत योजना के तहत अविलम्ब और जरूरी सहायता का लाभ मिला है. इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जुलूस के दौरान अनेक महिलाएं थक हार कर रास्ते में बैठ गई, कई को मिचली और कै होने लगी. इनमें से कई के गोद में कम वजन से दुबले-पतले बीमार बच्चे थे. अधिकांश के पेट फूले थे, अविकसित और बेडौल शरीर थे अनेकों के आंखों से पानी बह रहा था.

गैस पीड़ितों की अगुवाई भोपाल सॉलिडेरिटी ग्रुप ने की थी. ग्रुप ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में दिल्ली में दो दिन के विरोध का आयोजन किया था. इस ग्रुप में सीटू, जनवादी महिला समिति, सी.सी. डब्ल्यू.डब्ल्यू., भारत की जनवादी नौजवान सभा और एस.एफ.आई. सहित सभी संगठनें शामिल थे. इन्होंने गैस पीड़ितों के समर्थन में 22 फरवरी को वोट क्लब तक जुलूस निकाला.

अर्जुन सिंह और मोतीलाल वोरा के बहरे कानों ने गैस पीड़ितों की सहायता की गुहार को अनसुना कर दिया. अब क्या राजीव गांधी इनकी आवाज को सुनेंगे ?

"अमरीका में जहर बना
भारत सरकार ने इसे भोपाल मंगवाया
राजीव गांधी कार्बाइड का दलाल है
वह सभी गैस पीड़ितों की लील जाएगा."

इस जुलूस में एक नारे थे.

(पृष्ठ 4 शेष)

महिलाओं के लिए अलग शौचालय, ड्यूटी के मध्य में दोपहर के भोजनावकाश के दौरान बैठने के लिए अलग विश्रामालय.

छुट्टियों के दिन महिलाओं को काम पर बुलाने अथवा काम के घंटे के बाद महिलाओं को अतिरिक्त समय तक रोकने की प्रथा पर रोक, जिला तथा राज्य स्तर पर महिला कर्मियों की शिकायतों के निबटारे के लिए अलग सेल तथा सभी को मकान भाड़ा इत्यादि खास मांगों पर संघर्ष जारी है.

समिति राज्य की सभी कामकाजी महिलाओं को एकजुट करने के लिए प्रयास कर रही है ताकि दूसरी समस्याओं के समाधान के साथ महिलाओं के लिए बराबरी के हक को सुनिश्चित किया जा सके.

समाज के विकास और तमाम मजदूर वर्ग को उनकी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने तथा देश में जनवादी आंदोलन के विकास के लिए देश में चल रहे जनवादी संघर्षों के बीच समन्वय करने के लिए समन्वय समिति कारगार कदम उठाने के लिए कृत संकल्प है.

अफगानिस्तान की आजादी की रक्षा में खड़ी हैं ये औरतें!

"अपने किसी अजीज शख्स को खो जाने के दर्द और अफसोस को सहन कर पाना आसान नहीं है. लेकिन हरेक को जिंदा रहना होता है और इसके लिए काम करना होता है तथा मौजूदा खून खराबी को रोकने के लिए अपना हर संभव योगदान देना जरूरी हो जाता है." महिलाओं की मास्को कांग्रेस में भाग लेने आई अफगानिस्तान प्रतिनिधिमण्डल की सदस्य बीबी मरादजन कहती है. उसने यह बात अफगानिस्तान की धरती पर अमरीकी साजिश के तहत चलाई जा रही अविराम युद्ध में संघर्षरत लोगों के दुखों का जिक्र करते हुए कही.

अपने बचपन और किशोरावस्था का हवाला देते हुए बीबी मरादजन ने कहा कि वे बहुत खुशगवार लम्हे नहीं थे जिन्हें याद किया जाए.

बीबी मरादजन का जन्म एक ऐसे बेजमीन किसान परिवार में हुआ था जिनको जिंदा रहने के लिए जीतोड़ मेहनत-मजूरी करनी पड़ती थी. उनकी शादी अफगानिस्तान में आम रिवाज के मुताबिक ही कम उम्र में कर दी गई थी. अपने घरबार और बचपन की यादों को ताजा करते हुए बीबी मरदाजन ने कहा कि उन दिनों जिंदगी बहुत मुश्किल थी. वर्ष 1987 की अप्रैल क्रांति के बाद माहौल में बदलाव आने लगे थे. उस समय वहां कई हथियार बन्द क्रांतिकारी दस्ते थे जो इस बदलाव को गंवारा नहीं करते थे और इसलिए वे गांवों की घेराबंदी कर आतंक और अफवाह फैलाया करते थे. एक बार ये लोग वहां के एक फार्म में आए और वहां आग लगाकर फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया. बर्बाद हो चुके परिवारों को दूसरे गांव में जाकर रहने को मजबूर होना पड़ा लेकिन वहां भी वे इन आतंकवादी छापामारों के हमलों से महफूज नहीं थे.

इसी लिहाज से बीबी मरदाजन ने महिलाओं का एक हथियार बंद दस्ता बनाने की सोची ताकि खुद की हिफाजत खुद की जा सके. इस तरह से बने पहले दस्ते का संचालन एक आदिवासी महिला 'जलजला' ने किया.

यह तब की बात है जब गांव के सभी पुरुष विद्रोहियों के हाथों मौत के घाट उतारे जा चुके थे. दस्ते में अलग-अलग उम्र की दस और औरतें थी. जिनमें से कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी-लिखी थीं जबकि शेष अनपढ़ थी. लेकिन उन सभी में एक बात जो समान थी वह थी अपने अजीज लोगों, पिता, पति, भाई और संतान से उनका विछोह.

बीबी मरदाजन ने खुद अपने बारे में तीन लड़कों की मौत की दर्दनाक खबर बताई इसलिए औरतों ने हथियार उठाए और अपने पुरुषों की जगह पर अपने गांव की रक्षा का बचन लिया. बीबी मरदाजन खुद 150 से ज्यादा मुठभेड़ों में हिस्सा ले चुकी है.

वहां के स्थानीय सरकार के चुनाव में बीबी मरदाजन को सरकार की कार्यकारिणी समिति में सर्वसम्मति से चुन लिया गया. वर्ष 1986 में वह क्रांति के शहीदों की माताओं और विधवाओं की समिति की प्रमुख बनीं. आज इस समिति में पांच हजार से अधिक महिलाएं सदस्य हैं. इसके देश के 26 प्रांतों में स्थानीय शाखाएं कार्यरत हैं.

जैसे ही पुरुष लोग अपने देश की सुरक्षा और आजादी के लिए लड़ाई पर गए वैसे ही पी. डी. पी. ए. ने महिलाओं को आत्म रक्षा, प्रशासनिक सेवा करने और शिक्षा के लिए लामबंद किया. काबुल में विद्रोहियों ने उन महिलाओं पर तेजाब डाला जो पश्चिमी पहनावा पहनती थी. महिला शिक्षकों को घायल कर दिया. स्कूल को आपूर्ति की जाने वाले पानी में जहर मिलाया गया — इस लिहाज से कि सामन्तवादी, कट्टरपंथी और अन्त-पारिवारिक सम्बद्धों के शोषण के खिलाफ खड़ी हो रही महिलाओं को फिर से दबाया जा सके.

नया कानून इस बात की गारंटी देता है कि औरतों को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे. साथ ही शादी की उम्र, दुल्हन की खरीद फरोख्त, पर्दा प्रथा की समाप्ति, स्कूलों में लड़कियों के नामकन संबंधी सामाजिक सुधार की गारंटी देता है.

बी बी मरादजन चाहती है कि उन औरतों की हौसला-

फजाई हो और उन्हें सहानुभूति मिले जिन्होंने क्रांति के दौरान अपने पति को खोदिया. इसलिए हमारे समाज को इन औरतों की दुबारा शादी के लिए रजामंद होना होगा.

हाल में ही सरकार ने एक प्रोटोकॉल की मंजूरी दी है जिसके तहत इस संगठन के उन महिला सदस्यों को जरूरी सहायता दी जायेगी जिन्हें नौकरी, घरबार अथवा चिकित्सकीय सुविधा की जरूरत है अथवा जो अपने बच्चे को छात्रावास विद्यालय में रखना चाहती हैं. इन्हें आर्थिक सहायता भी दी जानी है ताकि ये रियायती दरों पर अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सके.

बीबी मरदाजन समाज की औरतों और माताओं की सहानुभूति पूर्वक समझदारी से देख भाल कर रही है. इस काम के खास पहलू को इंगित करते हुए उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान की हमारी परम्परा के तहत अफगान की औरतों के पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं है. इसलिये वह वैवाहिक सहायता की जरूरत को समझती है. लेकिन वह चाहती हैं कि इन्हें समानाधिकार कानून का मुकम्मल लाभ मिलें.

समाज में औरतों को बराबरी का हक और सम्मान दिलाने के लिए आठ मार्च का अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस अफगानिस्तान के लगभग सभी कारखानों, कार्यालयों और विद्यालयों में मनाया जाएगा. इन सुधारों का वहां की महिलाओं ने दिलखोलकर स्वागत किया है. श्रम रोजगार, शिक्षा और प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी पूरे जोर शोर से बढ़ रही है.

इस वर्ष करीब तीस हजार महिलाकर्मी अभियांत्रिकी, चिकित्सा, उद्योग और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं. जबकि 1973 में इन महिलाओं की संख्या केवल साढ़े चार हजार थी. सभी विभिन्न स्कूलों में 2,33,000 लड़कियां तथा विश्वविद्यालय में 7,133 युवा महिलायें अध्ययन कर रही हैं जो भविष्य में रोजगार के क्षेत्र में प्रवेश करेगी. जिस तरह आज अफगान विद्रोही (मुजाहिद्दीन) अंतिम हमले की तैयारी लर रहे हैं उसी तरह से काबुल की महिलाएं राजधानी की रक्षा में जुटी है. जबकि यहां के पुरुष इन विद्रोहियों का मुकाबला तथा सफाया करने के लिए हिन्दूकुश क्षेत्र में चले गए हैं.

(पृष्ठ 21 का शेष)

जातियों और जनजातियों के मजदूरों समेत खेत मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी गयी. संथाली भाषा के छात्रों के लिए "ओल चिक्की" लिपि को मान्यता देने की वाममोर्चा सरकार का फैसला दृढ़तापूर्ण कदम है जो किसी भी कांग्रेसी राज्य में नहीं किया गया.

अब आरक्षण को ही लीजिए. पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजाति के युवकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कानूनों में सुधार किये जा रहे हैं. विद्यालयों और महाविद्यालयों समेत विभिन्न अर्द्ध सरकारी संस्थानों में इन आरक्षण कानूनों को लागू किया जा रहा है. इस प्रयास से विभिन्न संगठनों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है. अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि प्रशासन में 'पंचायतों में सरकारी प्रतिनिधि' के रूप में अपनी भागीदारी कर रहे हैं.

यह सराहनीय बात है कि पश्चिम बंगाल छुआछूत से मुक्त है. छुआछूत निश्चित रूप से समाज के माथे पर गहरा कलंक है. यह गर्व करने की बात है कि पश्चिम बंगाल में बंधुआ मजदूरी की प्रथा समाप्त कर दी गई है.

पश्चिम बंगाल के गावों में आदिवासी और गैर आदिवासी लोग एक साथ मिलजुलकर एक दूसरे के विकास के लिए काम करते हैं. हालांकि निहीत स्वार्थ के लोग उनके कामों में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं. ये स्वार्थी लोग विभिन्न धार्मिक और भाषायी समूहों के बीच मौजूद अलगाववादी तत्वों को उकसाने के फिराक में लगे रहते हैं. लेकिन पश्चिम बंगाल जनता ने वामपंथी सरकार को बंगाल की खाड़ी में डुबाने वाली कांग्रेसी (इ) शासन के खिलाफ अपने संघर्ष के दौरान बहुत कुछ सीखा है. अब यहां की जनता कांग्रेसी (इ) हमलों का सामना करने की ताकत जमा कर चुकी है.

दरअसल जनता को खासकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों का ख्याल करने वाली वामपंथी सरकार और कांग्रेसी राज्य सरकार के काम में फर्क स्पष्ट नजर आता है. यही वजह है कि यहां की जनता कांग्रेस के मुकाबले वामपंथी सरकार के साथ सहयोग करने के लिए हर क्षण तैयार रहती है.